**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

# IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

## Service Appeal No.- 17/2022

Nandan Kumar Choupal ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondent.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 27.09.2023 | **आदेश**<br><br>प्रस्तुत सेवा अपील जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अररिया द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–178 दिनांक–04.03.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदक दाखिल है।<br><br>उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–853 दिनांक–26.06.2019 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उनके पत्रांक–750 दिनांक–09.10.2019 एवं पत्रांक–141 द्वारा अपीलार्थी को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। इनके द्वारा दिनांक–06.03.2020 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए कहा गया कि इन्होंने एक दवा ली थी जिसमें 78% अल्कोहल था जिसका फायदा इनके पड़ोसी द्वारा उठाते हुए इनपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फलतः ये न्यायिक हिरासत में चले गये। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। संचालन पदाधिकारी ने दिनांक–29.12.2021 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया। इनके विरूद्ध आरोप है कि दिनांक–16.06.2019 (रविवार) को इन्हें शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया था। भरगामा थाना कांड सं0–145/2019 दर्ज करते हुए इन्हें दिनांक–17.06.2019 को जेल भेज दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लगे आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। अपीलार्थी को दोषी पाते हुए जिला पदाधिकारी, अररिया ने इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित कर दिया जो सही नहीं है।<br><br>इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा इनसे किसी प्रकार का कारण–पृच्छा नहीं किया गया। अपीलार्थी को भरगामा थाना कांड सं0–145/2019 में अभियुक्त होने के आधार पर इनके विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित कर दिया गया जबकि उक्त कांड अनुसंधानान्तर्गत है। न्यायालय | |

Web Copy Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | द्वारा इन्हें दोषी नहीं माना गया है। उत्पाद अधिनियम 2016 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान निरूपित किया गया हे कि यदि कोई व्यक्ति इसमें प्रथमतः<br>क्रमशः | |
| | लगातार<br>27.09.2023 | दोषी पाया जाता है तो उन्हें मात्र 2000/– रू0 के आर्थिक दंड के साथ मुक्त किया जाना है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। इन्हें मात्र शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। जबकि कई ऐसी दवाईयाँ हैं जिसमें अल्कोहल पाया जाता है और इन्होंने उसी प्रकार की दवा ली थी। सेवाकाल में इनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं की गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध छोटे प्रकृति के अपराध प्रतिवेदित है जिसके लिए आर्थिक दंड का प्रावधान है किन्तु इन्हें सेवा से मुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 9 एवं 17 का अनुपालन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध अधिरोपित वृहत दंड गैर समानुपातिक है। जाँच प्रतिवेदन भी अस्पष्ट है। विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी द्वारा न तो मौखिक और न ही दस्तावेजीय साक्ष्य संग्रह किया गया है। अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा कोई सजा नहीं दी गई है। जिला पदाधिकारी, अररिया का आदेश विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>दूसरी तरफ जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया ने पत्रांक–615 दिनांक–24.06.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया का मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी को नशे की हालत में गिरफ्तार करते हुए दिनांक–17.06.2019 से दिनांक–26.06.2019 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। किन्तु अपीलार्थी की माँ प्रेमलता देवी द्वारा पड़ोसी से झगड़ा होने के कारण जेल जाना बताया गया जो गलत है। विभागीय कार्यवाही के आधार पर इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित किया गया है। विभागीय कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी को अपने बचाव में पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर थे और 78% नशे की हालत में इन्हें गिरफ्तार किया गया। अपीलार्थी की माँ द्वारा तथ्यों को छुपाकर गुमराह किया गया है। अपीलार्थी सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में पकड़े गये थे। इनके विरूद्ध अधिरोपित दंड नियमानुकूल एवं विधिसम्मत् है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने योग्य बताया गया है।<br>उभय पक्षों को सुनने तथा जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को शराब के नशे में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अपीलार्थी सरकारी सेवक होने के नाते शराब के नशे में पकडा जाना सेवा आचार के विरूद्ध है। जबकि संपूर्ण बिहार राज्य में शराब सेवन प्रतिबंधित है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1823 दिनांक–16.02.2017 में बिहार सरकारी | |

Web Copy, Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–4 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है – ''मादक पेयों और औषधों का उपयोग।– कोई सरकारी सेवक मादक पेय या औषध का उपभोग नहीं करेगा। प्रत्येक सरकारी सेवक तत्समय जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में प्रवृत्त मादक पेय या औषध संबंधी विधि का कड़ाई के<br>क्रमशः | |
| | लगातार<br>27.09.2023 | साथ अनुपालन करेगा।'' अपीलार्थी का उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली 2017 के अंतर्गत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। फलतः निम्न न्यायालय द्वारा अधिरोपित वृहत दंड नियमावली के अनुरूप है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव में कोई ऐसा तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इनके विरूद्ध अधिरोपित दंड को खंडित किया जा सके।<br>अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, अररिया को भेजें।<br>लेखापित एवं शुद्धित।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। | |

Web Copy. Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

Web Copy. Not Official.